न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—109/2023/223 आर.टी.एक्ट (2023/109)

1. केदार पुत्र रामकरण मृतक जरिए वारिसानः—
   1/1 लालीदेवी पत्नि स्व0 श्री केदार
   1/2 राजेन्द्र पुत्र स्व0 केदार
   1/3 रामप्रसाद पुत्र स्व0 केदार
   1/4 मनीषा पुत्री स्व0 केदार
2. सूरतराम पुत्र रामकरण
3. बेजनाथ पुत्र रामकरण
   समस्त जाति जाट निवासी जयपुर रोड केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. रामलाल पुत्र बालूराम
2. अमर पुत्र नाथू
3. सजनी पत्नि ओंकार
4. रामदेव पुत्र ओंकार
5. ससोहनी पत्नि रामेश्वर
6. शिवराज पुत्र रामेश्वर
7. शंकर पुत्र रामेश्वर
8. मुकेश पुत्र रामेश्वर
   समस्त जाति जाट निवासी गुर्जरवाडा केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।
9. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, केकडी जिला अजमेर।

असल रेस्पोडेंटस

10. रतनी पुत्री रामकरण
11. मनराज पुत्री रामकरण
    समस्त जाति जाट निवासी जयपुर रोड केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

प्रफोर्मा रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 21.11.2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर, राजस्व वाद संख्या 53/2014

उपस्थितः—

1. श्री शिवप्रकाश चौधरी अभिभाषक अपीलांट
2. श्री हसन खान, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 02 से 08
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 09
4. रेस्पोडेंट संख्या 01 स्वयं उपस्थित

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

निर्णय

दिनांकः–31.01.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 53/2014 में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 21.11.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 रामलाल द्वारा एक वाद विरूद्ध अपीलांट्स एवं शेष रेस्पोडेंटस अंतर्गत धारा 53, 88, 188 एवं 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी, केकडी के समक्ष प्रस्तुत किया। वाद पत्र दिनांक 15.4.2014 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम नोटिस जारी किए गए तत्पश्चात पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से एवं 4 से 7 एवं 8 से 10 की ओर से निरंजन चौधरी एडवोकेट ने पावर पेश किया। तत्पश्चात पत्रावली बकाया प्रतिवादीगण की तलबी हेतु नियत रही। यहां पर यह निवेदन करना भी उचित होगा कि विवादित आराजी मुतनाजा बाबत एक अन्य वाद अपीलांट्स द्वारा वाद संख्या 30/2015 बउनवानी केदार बनाम रामलाल वगैरह के नाम से उपखण्ड अधिकारी, केकडी के समक्ष अंतर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इसी आराजी मुतनाजा के बाबत दिनांक 20.2.2015 को प्रस्तुत किया जिसे भी दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादीगण के नाम नोटिस जारी किए गए। तत्पश्चात वाद संख्या 53/2014 में ना तो किसी पक्षकार द्वारा जवाब पेश किया गया एवं ना ही सभी पक्षकारों की तलबी पूर्ण की गई एवं पत्रावली वास्ते बकाया पक्षकारों की तलबी हेतु नियत रही एवं दिनांक 16.3.2018 को बिना सभी पक्षकारों की तलबी कराए बगैर पत्रावली में हस सुन ली गई एवं पत्रावली को वास्ते दिनांक 26.3.2018 को आदेश हेतु सुरक्षित रख लिया गया। तत्पश्चात पत्रावली में पी0ओ0 साहब बाहर भ्रमण पर हैं की सील अंकित की गई एवं दिनांक 13.12.2018 को पत्रावली में बिना जवाबदावा लिए, बिना बयान लिए प्राथमिक डिक्री जारी करने का आदेश पारित कर दिया। वादी रामलाल द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 21.11.2022 को प्रस्तुत कर कथन किया कि पत्रावली में आगामी पेशी दिनांक 23.11.2022 नियत है जिसे आज ही नियत किया जाकर अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र को विड्रो करन का कथन किया एवं उपखण्ड अधिकारी, केकडी ने बिना अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर दिए बिना अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत आपत्ति को विड्रो करने का आदेश दिनांक 21.11.2022 को पारित कर अंतिम डिक्री भी दिनांक 21.11.2022 को पारित कर दी। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 53/2014 में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 21.11.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय की पूर्व में प्रार्थीगण को जानकारी नहीं हो सकी क्योंकि प्रार्थीगण अपने अभिभाषक पर आश्रित थे एवं प्रार्थीगण के अभिभाषक ने भी यह कह रखा था

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

कि जब भी आपके प्रकरण का फैसला होगा सूचित कर दिया जायेगा परन्तु प्रार्थीगण के अभिभाषक श्री नीरज कुमार जैन द्वारा प्रार्थीगण को सूचित नहीं किया गया जिससे प्रार्थीगण को उपरोक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं हो सकी व प्रकरण संख्या 30/2015 को प्रकरण संख्या 53/2014 में सम्मिलित करते हुए निर्णय पारित कर दिया। चूंकि उपरोक्त सम्मिलित करने में भी प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था एवं प्रकरण संख्या 53/2014 की पत्रावली में ही कुर्रेजात रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा बनवाई जाकर प्रस्तुत कर दी गई एवं प्रार्थीगण कम पढे लिखे व्यक्ति होने से उपरोक्त बंटवारा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिये गए परन्तु जब प्रार्थीगण को यह ज्ञात हुआ कि बंटवारे में प्रार्थीगण को कम हिस्सा दिया जा रहा है तो प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र बंटवारा प्रस्ताव पर आपत्ति प्रस्तुत किया जिसे विपक्षी/वादी रामलाल द्वारा विड्रो करवा कर प्रकरण का निस्तारण करवा दिया गया जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को नहीं दी गई तत्पश्चात प्रार्थीगण दिनांक 2.2.2023 को जमाबंदी की नकल निकलवाने हल्का पटवारी के पास गए तब उपरोक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई तत्पश्चात प्रार्थीगण ने नकल हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 6.2.2023 को प्रस्तुत किया उसी दिन नकल प्राप्त कर फीस आदि की व्यवस्था कर अजमेर आए एवं अभिभाषक नियुक्त कर उक्त अपील प्रस्तुत की जा रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत ए0आई0आर0 1981 एस0सी0 पेज 3222 पैरा 11 अनुसार मियाद अधिनियम प्रक्रियात्मक अधिनियम होने से प्रक्रिया के तहत प्रार्थीगण के हक व अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा प्रस्तुत अपीलांट को अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में तलबी हेतु नोटिस जारी किए गए जिसके उपरांत दोनों पक्षों की उपस्थिति में प्राथमिक डिक्री दिनांक 13.12.2018 को बनाई जाकर नक्शे कुर्रेजात तहसील केकडी से मंगाए जाने के आदेश पारित किए गए उक्त अनुपालना में तहसीलदार द्वारा दिनांक 14.8.2019 को मौके पर उपस्थिति हेतु अपीलांट व रेस्पोडेंट को नोटिस जारी किए गए जिनकी उपस्थिति में वादग्रस्त आराजी का विभाजन किया गया है व नक्शे कुर्रेजात बनाए गए है, जिस पर स्वयं अपीलांट द्वारा हस्ताक्षर किए गए है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव पर आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाने के तथ्य गलत हैं उनके द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार का आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है वरन स्वयं रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर बाबत विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र विड्रो किए जाने पर अंतिम डिक्री दिनांक 21.11.2022 को विधिवत रूप से पारित की गई है। न्यायालय के समक्ष उक्त पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध तथ्यों के आधार पर अपील प्रस्तुत की गई है, जो मियाद अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

किया बाद अवलोकन हमने पाया कि हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।

न्यायिक दृष्टांत आर0आर0टी0 2002(1) के अनुसार परिसीमा अधिनियम 1963– धारा–5 विलम्ब का उपशमन=विलम्ब, उपशमन के प्रश्न पर विचार करते समय सर्वप्रथम न्यायालय को मामले के गुणावगुण पर विचार करना चाहिए–यदि मेरिट पर मामला अच्छा है तो विलम्ब माफ कर दिया जाना चाहिए।

चूंकि अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में कहे गए कथन सत्य प्रतीत होते है। चूंकि परिसीमा नियमों का अभिप्राय यह है कि वे पक्षकारों के अधिकारो को नष्ट नहीं करे। चूंकि प्रथम अपील पक्षकार का वैधानिक व बहुमूल्य अधिकार है उसे विलंब के कारण समाप्त नहीं किया जा सकता जबकि अपीलांट का दुराश्य नहीं है। केवल तकनीकी आधारों पर व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता तथा नियमानुसार उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण गुणावगुण पर ही किया जाना विधिसम्मत है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक होने से एवं न्यायहित में अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित समझते हैं।–

अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में हुई देरी को क्षमा किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि अपीलांट्स द्वारा एक प्रार्थना पत्र बाबत हल्का पटवारी द्वारा मुर्तिब बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 14.8.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि आराजी खसरा नम्बर 4779 में 0.32 है0 भूमि कम कर दी है जबकि संपूर्ण आराजी में से 2.744 है0 भूमि अपीलांट्स के नाम आनी चाहिए जबकि पटवारी हल्का द्वारा बनाए गए बंटवारा प्रस्ताव में अपीलांट्स के हिस्से में 2.43 है0 भूमि ही आ रही है इसलिए खसरा नम्बर 4779 में से 0.32 है0 जोडकर अपीलांट्स के हिस्से में कुल हिस्सा 2.744 है0 किया जावे जिसे विपक्षी द्वारा गैर कानूनी रूप से एक प्रार्थना पत्र बाबत आपत्ति प्रार्थना पत्र जो कि अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत किया गया था जिसे विपक्षी द्वारा विड्रो कर लिया गया जबकि कानूनन प्रार्थना पत्र अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत किया गया था तो अपीलांटस ही उपरोक्त प्रार्थना पत्र को विड्रो कर लिया गया जो कि गलत था इसी प्रकार कानूनन धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत बंटवारे में नियमों के तहत किसी खातेदार को कम भूमि नहीं दी जा सकती है, इसके बावजूद उपखण्ड अधिकारी, केकडी ने अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र को विड्रो कर गलत रूप से अपीलांट्स का रकबा कम करते हुए जो डिक्री पारित की है वह धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत जाकर पारित किए जाने से निरस्त किए जाने योग्य है। अंतिम डिक्री में बंटवारा प्रस्ताव हल्का पटवारी द्वारा मुर्तिब किए गए है जबकि कानूनन बंटवारा प्रस्ताव लैण्ड होल्डर द्वारा ही मौके पर जाकर बनाया जाना अनिवार्य है, इसके बावजूद भी उपखण्ड अधिकारी, केकडी ने अपने में निहित क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर भू–अभिलेख निरीक्षक से बंटवारा प्रस्ताव बनाया जाकर अंतिम डिक्री पारित की है जो कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित बंटवारा सिद्धांतों के तहत गैर कानूनी है। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा मुर्तिब अंतिम डिक्री विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर पारित किए जाने से निरस्तनीय है। यहां यह भी निवेदन करना उचित होगा कि विपक्षी स्वयं रामलाल द्वारा भी

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

एक आपत्ति प्रार्थना पत्र पटवारी केकडी द्वारा दिनांक 14.8.2019 को बनाए गए मौका पर्चा इसी आशय का उपखण्ड अधिकारी, केकडी के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया गया था कि आराजी खसरा नम्बर 4779 में से 0.054 है0 भूमि जोडकर उसका कुल हिस्सा 2.744 है0 किया जावे इसके बावजूद भी खसरा नम्बर 4779 में अमरा पुत्र नाथू–कौम जाट को हिस्सा प्रदान कर दिया गया। इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर बिना कोई जांच किए हल्का पटवारी द्वारा मुर्तिब बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर पारित कर दी गई जो कि विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री राजस्थान राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की कोई पालना किए बगैर जारी की गई है जो निरस्त किए जाने योग्य है। धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत वाद में धारा 53 क्रम संख्या 11 डिविजन थ्रो कोर्ट में स्पष्ट प्रावधान दिया हुआ है कि तहसीलदार को मौका कमिश्नर नियुक्त किए जाने के पश्चात तहसीलदार द्वारा वाद में वादीगण एवं प्रतिवादीगण को नोटिस जारी करेगा तत्पश्चात सक्षम न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा परंतु उपरोक्त प्रकरण में हल्का पटवारी द्वारा बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किए गए जो कि बंटवारा के नियमों के विपरीत जाकर अंतिम निर्णय व डिक्री पारित किया है निरस्त किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 53/2014 में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 21.11.2022 में पारित निर्णय को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में वर्तमान रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र अंतर्गत धारा 53, 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि कस्बा केकडी तहसील केकडी की जमाबंदी के खाता संख्या 1144 में कुल किता 19 कुल रकबा 13.89 है0 का निर्णय व प्रारंभिक डिक्री दिनांक 13.12.2018 को जारी कर बंटवारा करने हेतु तहसीलदार केकडी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार केकडी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तहसीलदार केकडी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव में वादी व प्रतिवादी का हिस्सा अलग–अलग रंगों से चिन्हित किया गया है। तहसीलदार केकडी द्वारा अवगत कराया गया कि वादी एवं प्रतिवादी के मध्य मिट्स एण्ड बाउण्ड के आधार पर किया गया मौके पर उपस्थित रह के हस्ताक्षर कराए गए। वादी द्वारा प्रार्थना पत्र आपत्ति बाबत को विझो कर बंटवारा प्रस्ताव अनुसार बंटवारा किए जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवारा प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर तहसीलदार केकडी को राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में अलग अलग खाते व लगान कायम करने बाबत आदेश पारित किए गए। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

9. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय व प्रस्तुत दस्तावेजात से स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 रामलाल द्वारा वाद विरूद्ध अपीलांट्स एवं शेष रेस्पोडेंटस अंतर्गत धारा 53,

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

88, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी, केकडी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र को दिनांक 15.4.2014 को दर्ज रजिस्टर करते हुए प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किए गए। उक्त विवादित आराजीयात बाबत अपीलांट द्वारा वाद संख्या 30/2015 बउनवानी केदार बनाम रामलाल वगै0 भी अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी के समक्ष अंतर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इसी आराजी बाबत दिनांक 20.2.2015 को प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद को भी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किए गए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों वाद को सम्मलित करते हुए एक साथ निर्णय पारित किया गया जो कि त्रुटिपूर्ण है क्यों कि वाद संख्या 53/2014 में ना तो किसी पक्षकार द्वारा जवाब पेश करने का अवसर दिया गया ना ही सभी पक्षकारों की तलवी पूर्ण की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16.3.2018 को बिना सभी पक्षकारों की तलवी पूर्ण किए ही प्रकरण में बहस सुन ली गई व पत्रावली को दिनांक 26.3.2018 में नियत रखते हुए आदेश हेतु सुरक्षित रख लिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 13.12.2018 को बिना जवाबदावा लिए बिना सुनवाई का अवसर दिए प्रकरण में प्राथमिक डिक्री पारित की गई। प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार केकडी को बंटवारा प्रस्ताव हेतु आदेश दिए गए परंतु उक्त बंटवारा प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा तैयार कर दिनांक 14.8.2019 को तहसीलदार को प्रेषित किया गया जो कि एक विधिक त्रुटि है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल)1955 के नियम 18 से 21 के प्रावधान के तहत् विभाजन प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार द्वारा बनाया जाना आदेशात्मक है। उक्त बंटवारा प्रस्ताव बाबत अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आपत्ति प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया था परंतु उक्त प्रार्थना पत्र को बिना अपीलांट की सहमति के रेस्पोडेंट द्वारा विड्रो किया गया जो त्रुटिपूर्ण है क्यों कि उक्त प्रार्थना पत्र को अपीलांट द्वारा ही विड्रो किया जा सकता था। उक्त प्रकरण में जो बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया गया है वह केवल पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया जाकर तहसीलदार, केकडी को प्रेषित किया गया है। राजस्व मण्डल द्वारा पारित नियम 21 के तहत स्वयं तहसीलदार द्वारा भू–भाग के टुकडों को अलग से दर्शाया जाना अनिवार्य था एवं उपरोक्त भू–भाग एक सह खातेदार से दूसरे सह खातेदार के हिस्से से ज्यादा ना हो यह भी तस्दीक किया जाना अनिवार्य था परंतु तहसीलदार, केकडी न तो स्वयं मौके पर उपस्थित थे व न ही उक्त बंटवारा प्रस्ताव उनके द्वारा तैयार किया गया है, बल्कि उपरोक्त नियम के विरूद्ध जाकर बंटवारा प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा मुर्तिब कर उपखण्ड अधिकारी केकडी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिसके आधार पर उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित किया गया। जो उक्त प्रकरण में अपीलांट को बिना जवाब एवं साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किये व उच्च न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतो के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया है। जो कानून की मंशा एवं वाद पत्र के जवाब का बिना अवसर प्रदान किये एवं बिना किसी पक्षकार का जवाब के बाद तनकीयात कायम किए पारित किया गया है जो निर्णय एवं डिक्री से सिद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 13.12.2018 के आदेश की अपील हाजा न्यायालय द्वारा निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रेतिप्रेषित कर दिया गया है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री ही त्रुटिपूर्ण है, अतः अंतिम डिक्री का आधार ही प्राथमिक डिक्री है जब प्राथमिक डिक्री ही निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जा चुकी है। उपरोक्त कारणों से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अंतिम

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

डिक्री निरस्त किया जाकर अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

10. अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 53/2014 में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 21.11.2022 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह उभयपक्षकारान को जवाब, सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः प्राथमिक डिक्री जारी होने पर उभयपक्षों की उपस्थिति में तहसीलदार द्वारा बंटवारा प्रस्ताव पक्षकारों की उपस्थिति में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के अनुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार करते हुए व उक्त रिपोर्ट पर उनकी आपत्ति व जवाब लेकर उनका निस्तारण करते हुए प्रकरण को पुनः गुणावगुण पर अंतिम निर्णय एवं डिक्री जारी करें। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.02.2025 को उपस्थिति होने हेतु पांबद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 31.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

31/01/2025

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner